प्रकरण संख्या 05/2016 RCMS ID-2016/00013 ता0रजू 19.02.2016

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

1. हरफूल
2. चरण

पुत्रान रामहेत जाति जाटव
निवासी कैलादेवी तहसील व जिला करौली – अपीलाण्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार तहसील करौली
2. धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र नवल किशोर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी धांधूपुरा तहसील व जिला करौली
3. जीतेन्द्र शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गुलाब बाग करौली तहसील व जिला करौली – रेस्पोण्डेण्ट्स

अपील धारा 75 एल.आर.एक्ट वा आदेश पत्रांक/राजस्व/2015/1677 दिनांक 10.09.2015 उपजिला कलक्टर करौली

निर्णय

दिनांक 27.11.2019

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपजिला कलेक्टर करौली के आदेश क्रमांक–राजस्व/2015/1677 दिनांक 10.09.2015 की पालना में खसरा नं. 2814/3 बाके ग्राम लौहर्रा हाल राजस्व कैलादेवी की, की गई तरमीम के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि वाके ग्राम कैलादेवी में खसरा नं. 2814/1, 2814/2, 2814/3 स्थित है। जिसमें से अपीलाण्ट्स गत 40 वर्षों से काबिज हैं और काश्त करते चले आ रहे है। ग्राम कैलादेवी के नक्शा ट्रेस में सन 2013 माह अक्टूबर में रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 व 3 ने खसरा नं0 2814/3 का कुछ हिस्सा खरीद किया है और उक्त तीनों नम्बरों की कोई तरमीम काफी लम्बे समय नक्शासीट में नहीं हो रही है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय से साज करके अपीलाण्ट्स को पोषीदा रखते हुए उक्त नक्शा ट्रेस में दिनांक 10.09.2015 को नक्शा तरमीम आदेश के अनुसार हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण अपीलाण्ट्स को वगैर सुनवाई का अवसर दिये और अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 2814/2 से सटी हुई सिवायचक भूमि खसरा नं0 2814/1 की भूमि को गलत तौर पर हथियाने की नीयत से अपील में प्रस्तुत छायाप्रति नक्शा अनुसार पूरब से पश्चिम की ओर 2814/1 को दर्शा दिया है और खसरा नं0 2814/3 को खसरा नं0 2814/1 व खसरा नं0 2814/2 के मध्य दर्शा दिया है जो बिल्कुल विधि के विरुद्ध है और अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर न दिया जाकर गलत आदेश के आधार पर अवैध तरमीम करने के अवैध आदेशों के आधार पर तरमीम की गई है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलान्टस की ओर से दीवानी अदालत में दावा हरफूल बनाम धर्मेन्द्र वगै० मु0नं0 130/15 जो दिनांक 09.10.2015 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके साथ टी0आई0 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें रेस्पोडेन्ट नं0 2 व 3 दिनांक 19.10.2015 को उपस्थिति होने के बावजूद उक्त अवैध तरमीम आदेश की कोई न्यायालय में नकल प्रस्तुत नहीं की गई। दौरान दावा सीमाज्ञान के फर्द मौका दिनांक 20.10.2015 के साथ केवल तरमीम नक्शा की प्रति पेश की है और मूल आदेश को जानबूझकर विद होल्ड कर लिया। इस सम्बन्ध में सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र अपीलान्टस के वकील द्वारा प्रस्तुत करने पर दिनांक 29.01.2016 को तहसीलदार करौली रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा यह

अवगत कराया गया है कि उक्त तरमीम आदेश उपजिला कलेक्टर करौली के यहाँ से जारी किया गया है जिसकी नकल प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र न्यायालय उपजिला कलेक्टर करौली के यहाँ दिनांक 02.02.2016 को प्रस्तुत कर दिया है किन्तु आज तक अपीलान्टस को उसकी नकल उपलब्ध नहीं कराई गई है और जानबूझकर अपील के समय को निकाल कर रेस्पोडेन्ट व अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपील के समय को निकाल रहे हैं जिससे की उनके द्वारा की गई अनियमितता उजागर न हो सके। इसलिए सूचना के अधिकार के पत्र के आधार पर यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। मूल कागजात उपजिला कलेक्टर करौली के यहाँ से तलब होने पर सारी कारगुजारी का स्पष्टीकरण स्पष्ट हो सकेगा। अपीलान्टस गरीब अनुसूचित जनजाति के सदस्य है एवं आर्थिक स्थिति से काफी कमजोर है जबकि रेस्पोडेन्ट नं0 2 व 3 ने पैसे के बल पर रेस्पोडेन्टस नं0 1 से साज कर अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बगैर अपीलान्टस के 40 वर्ष के कब्जे की जिसकी पी–14 की छायांप्रति अपील के साथ प्रस्तुत की जा रही है और लाखो रूपये लगाकर खसरा नं0 2814/1 की भूमि को काबिल काश्त बनाया है और इसके चारों ओर पत्थरों की बाउण्ड्री कर रखी है इसको नष्ट करवा के गलत तरमीम के आधार पर अपीलान्टस की जमीन को हडपने का प्रयास है इसलिए उक्त आदेश तरमीम बावत जैर अपील निरस्त होने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

वकील रेस्पोण्डेण्ट 2 व 3 ने बहस में कथन किया है कि खसरा नं. 2814 के तीन भाग हैं जिनमें से एक भाग सरकारी भूमि भी है जिस पर अपीलाण्ट्स द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। रेस्पोण्डेण्ट्स द्वारा जमीन को क्रय किया गया है जिसकी तरमीम नहीं हो रही थी। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोण्डेण्ट्स भी क्रयशुदा भूमि पर भी अतिक्रमण कर रखा है जिसे हटवाये जाने के कारण अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है। रेस्पोण्डेण्ट की क्रयशुदा भूमि की तरमीम करवाये जाने का रेस्पोण्डेण्ट्स को पूर्ण अधिकार है। अपीलाण्ट्स की स्वयं की खातेदारी भूमि में रेस्पोण्डेण्ट् द्वारा कोई तरमीम नहीं करवाई गई है ना ही अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि इस तरमीम में आई है। अतः तरमीम अपील चलने योग्य नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि उपखण्ड अधिकारी करौली के आदेश पर विधिसम्मत् कार्यवाही पूर्ण कर तरमीम की गई है जो पूर्णतया सही है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा भूमि क्रय की गई है जिसकी तरमीम नहीं हो रही थी जिसकी तरमीम करवाये जाने का रेस्पोण्डेण्ट को पूर्ण अधिकार है। अपीलाण्ट द्वारा खसरा नं. 2814/3 के सह खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिससे अपीलाण्ट का इस न्यायालय में शुद्धहस्त से नहीं आना विदित होता है। अपीलाण्ट्स द्वारा सरकारी भूमि में कब्जा कर रखा है जिसे हटवाया जाना भी न्यायोचित है। अतः हम अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार करौली को आदेश दिये जाते हैं कि खसरा नं. 2814/1 बाके ग्राम लौहर्रा हाल राजस्व गांव कैलादेवी की सरकारी भूमि से नियमानुसार अतिक्रमण हटाये जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 16:56:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: